



प्रधान आयुक्त कार्यालय /Office of the Principal Commissioner

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय
Central Excise Commissionerate
फ ब्लोक रishi नगर लुधियाना
F- Block, Rishi Nagar, Ludhiana.

फा सं : : IV(16)Hqrs/Tech/Ldh/Refund NEFT/21/2015 /5192

दिनांक: 01/10/2015

Trade Notice No. 11 /CE/Ldh/2015

Attention is drawn to Trade Notice No. 07/CE/Ldh/2015 dated 15.07.2015. It is further directed that to avoid fraudulent payments/ bring transparency in payments, all payments to the assesses should be made through internet banking i.e. through NEFT/RTGS.

However, if in rare cases, assesses mention that they do not have internet banking but only have bank account their current payments through cheque should not be stopped but they should be told that in future payments should be made through internet banking i.e. through NEFT/RTGS for the subsequent payments since they already have bank accounts and they should get this free facility from their concerned banks.

के. जे. चौधरी
(के. जे. चौधरी) 29/9/15

प्रधान आयुक्त

प्रति लिपी सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित हैं प्रति लिपी सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित हैं

- 1 मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चण्डीगढ़ जोन), सी आर विलडिंग, सेक्टर-17, चण्डीगढ़।
- 2 सहायक / उप आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मण्डल, लुधियाना-I / लुधियाना-II / लुधियाना-III/मोगा । यह नोटिस, नोटिस बोर्ड पर संबंधित व्यक्तियों की सूचना हेतु लगाए जाने चाहिए।
- 3 सहायक आयुक्त (Systems) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
- 4 वेतन एवम लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, लुधियाना
- 5 सभी व्यापारिक प्रतिनिधित्व/RAC मेंबर एवं शिकायत समितियां।
- 6 गार्ड फाइल।
- 7 नोटिस बोर्ड।

ट/48
28/11/15
अधीक्षक (तकनीकी)